प्रेस नोट

जनपद मुजफ्फरनगर

दिनांक 19.09.2024

➢ **थाना खालापर पुलिस द्वारा 05 जुआरी अभियुक्तगण गिरफ्तार-**

दिनांक 18.09.2024 को थाना खालापर पर नियुक्त उ0नि0 श्री लोकेश गौतम मय हमराहीगण द्वारा 05 जुआरी अभियुक्तगण 1- नकीब पुत्र युसुफ निवासी किदवईनगर थाना खालापार, मुजफ्फरनगर 2- राजेश कुमार पुत्र रमेशचन्द्र निवासी ठाकुरद्वारा अबूपुरा थाना खालापार, मुजफ्फरनगर 3- सुनील कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी ग्राम बरवाला थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर 4- समुन पुत्र अलाउद्दीन निवासी ग्राम नरा थाना मन्सूरपुर मुजफ्फरनगर 5- विक्रान्त पुत्र जगत सिंह निवासी ग्राम अलमासपुर थाना नई मण्ड़ी को जुआ खेलते हुए अभियुक्त राजेश कुमार उपरोक्त के मसकन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 38,600/- रूपये नगद, 04 मोबाईल फोन, 02 मोटरसाईकिल व 97 ताश के पत्ते बरामद किये गये। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खालापार पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 58/2024 धारा ¾ सार्वजनिक जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

➢ **थाना जानसठ पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार-**

दिनांक 19.09.2024 को थाना जानसठ पर नियुक्त उ0नि0 श्री मोहित कुमार तेवतिया मय हमराहीगण द्वारा मु0अ0सं0- 170/2024 धारा 309(6),311,126(2),317(2),61(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त गुलजार पुत्र जहीर निवासी ग्राम खिरवा जलालपुर थाना सरधना मेरठ को ग्राम बसायत तिराहा बस स्टैण्ड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर व 5,000/- रूपये नगद बरामद किये गये। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना जानसठ पुलिस द्वारा पंजीकृत अभियोग में धारा 3/25 आयुध की वृद्धि की गयी है।

➢ **थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त गिरफ्तार-**

दिनांक 19.09.2024 को थाना पुरकाजी पर नियुक्त उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह मय हमराहीगण द्वारा वाद सं0- 2765/18 धारा 138 विद्युत अधिनियम में वारन्टी अभियुक्त प्रनेश कुमार पुत्र सेवाराम निवासी ग्राम खाई खेड़ी थाना पुरकाजी, मुजफ्फरनगर को अभियुक्त के मसकन से गिरफ्तार किया गया।

➢ **थाना रामराज पुलिस द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त गिरफ्तार-**

दिनांक 19.09.2024 को थाना रामराज पर नियुक्त उ0नि0 श्री राकेश कुमार मय हमराहीगण द्वारा वाद सं0- 358/23 धारा 498ए,323,307 भादवि व ¾ दहेज अधिनियम में वारन्टी अभियुक्त अमर सिंह पुत्र मामराज निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना रामराज, मुजफ्फरनगर को अभियुक्त के मसकन से गिरफ्तार किया गया।

➢ **थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा 10 शातिर चोर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 40,000/- रुपये नगद, 07 बैटरी व अन्य उपकरण, चोरी करने के उपकरण तथा 02 कार बरामद-**

दिनांक 19.09.2024 को थाना बुढ़ाना पर नियुक्त उ0नि0 श्री ललित कुमार मय हमराहीगण द्वारा मोबाइल टावर से बैटरी व उपकरण चोरी के 06 अभियोगों का सफल अनावरण करते हुए 10 शातिर चोर अभियुक्तगण 1- रवि पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम लाक थाना कोतवाली शामली, जनपद शामली 2- आशीष पुत्र सुदेशवीर निवासी शत्रुधीन नगर थाना भौरीकलां, मुजफ्फरनगर 3-

इशतकार सैफी पुत्र दिलशाद सैफी निवासी ग्राम दुल्हैरा थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर 4- दीपक पुत्र बृह्मपाल सिंह निवासी भौरा खुर्द थाना भौराकलां, मुजफ्फरनगर 5- मनीष रखुवंशी पुत्र रविन्द्र सिंह निवासी ग्राम दुल्हैरा थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर 6- कमल नैन मौर्य पुत्र गंगासागर मौर्य निवासी रामचरण डीह थाना गौर चौराह जनपद बलरामपुर 7- फरीद पुत्र ताहिर निवासी जाकिर कालौनी फतेहुल्लापुर रोड थाना लोहिया नगर, मेरठ 8- साजिद पुत्र असलम निवासी आशियान कालोनी थाना लिसाड़ी गेट, मेरठ 9- अक्षय बालियान उर्फ लक्की पुत्र कंवरपाल सिंह निवासी सोरम थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर 10- इमरान पुत्र बाबूखान निवासी आशियान कालोनी थाना लिसाड़ी गेट, मेरठ को दौराने पुलिस चैकिंग बुढ़ाना-बड़ौत मार्ग पर बडकता पुलिया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 04 तमंचे मय 06 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 40,000/- रूपये नगद, 07 बैटरी, वायर काटने के उपकरण, 02 बीटीएस कार्ड, 04 पावर सप्लाई पार्ट, चोरी का अन्य सामान व 01 कार बरामद की गयी। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बुढाना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 384/24 धारा 305/331(4) बीएनस में धारा 317(2)/3(5) व 3/25 आयुध अधिनियम व मु0अ0सं0- 387/24 धारा 305 बीएनएस में धारा 317(2)/3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

- **<u>थाना खतौली पुलिस द्वारा दौराने पुलिस मुठभेड़ 03 शातिर चोर अभियुक्तगण घायल/गिरफ्तार, कब्जे से अवैध शस्त्र 15,000/- रुपये नगद, 01 मोटरसाईकिल बरामद-</u>**

दिनांक 19.09.2024 को प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश कुमार शर्मा थाना खतौली मय हमराहीगण द्वारा 03 शातिर चोर अभियुक्तगण 1- गौतम पुत्र मंजीत सिंह निवासी ग्राम गुलखेड़ी थाना बोड़ा जनपद राजगढ़, मध्यप्रदेश 2- राहुल पुत्र त्तम सिंह ग्राम गुलखेड़ी थाना बोड़ा जनपद राजगढ़, मध्यप्रदेश 3- राज पुत्र मनोज निवासी ग्राम मीरकाबाद थाना मुंगावली जनपद अशोक नगर, मध्यप्रदेश को दौराने पुलिस मुठभेड़ खतौली-जानसठ मार्ग पर पलड़ी तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 15,000/- रुपये नगद, 03 तमंचे मय 03 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस, 02 मोबाईल फोन, 01 आरसी, 01 एटीएम कार्ड, 01 होण्ड़ा साईन मोटरसाईकिल (बिना नंबर प्लेट) बरामद की गयी। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खतौली पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **<u>थाना खतौली पुलिस एवं स्पेशल टीम एनडीआर दिल्ली तथा एसटीएफ मेरठ की संयुक्त कार्यवाही में 02 शातिर अभियुक्तगण (दिल्ली में हत्या तथा हत्या के प्रयास में वांछित) दौराने पुलिस मुठभेड़ घायल / गिरफ्तार, अभियुक्तगण के कब्जे से अवैध शस्त्र व चोरी की 01 कार बरामद-</u>**

दिनांक 19.09.2024 को प्रभारी निरीक्षक थाना खतौली श्री बृजेश सिंह शर्मा मय हमराहीगण व स्पेशल टीम एनडीआर दिल्ली तथा एसटीएफ मेरठ की संयुक्त टीम द्वारा एनएच-58 से ग्राम भैंसी मार्ग पर दौराने पुलिस मुठभेड़ 02 शातिर अभियुक्तगण 1. अनस खांन पुत्र अफसर खांन निवासी सी-216 तृतीय तल गली न0 08 चौहान बांगर दिल्ली 2. असद अमीन पुत्र बाबूदीन निवासी सी-23/11 गली न0 04 चौहान बांगर दिल्ली को घायल/गिरफ्तार किया गया। घायल/गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 01 पिस्टल .30 बोर, 01 पिस्टल .32 बोर, 01 तमंचा .32 बोर, 09 जिन्दा व 03 खोखा कारतूस, 01 कार किया सेल्टोस सफेद रंग नम्बर DL11C458 (चोरी की) बरामद की गयी। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खतौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 375/2024 धारा 221/132/109/3(5)(बी) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।